

बिहार सरकार,
गन्ना उद्योग विभाग।

कार्यालय आदेश

का०आ०सं०-01/स्था०राज०-284/2024-

1408

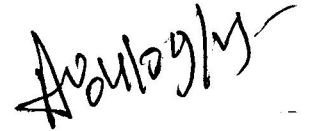
पटना, दिनांक 04 सितम्बर, 2025

गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना के कार्यालय आदेश संख्या-1330 दिनांक-05.08.2025 द्वारा श्री राजेन्द्र प्रसाद, पिता-श्री कैलाश प्रसाद, पता-वार्ड संख्या-2, अम्बारिया, रूपहारा, पूर्वी चम्पारण, बिहार, 845418 को संविदा के आधार पर जनसेवक के पद पर कार्य करने हेतु सहायक निदेशक, ईख विकास, मोतिहारी के कार्यालय में नियोजित किया गया था।

श्री राजेन्द्र प्रसाद, सेवानिवृत्त जनसेवक द्वारा लगातार अपने कर्तव्य से अनुपस्थित रहे हैं, जिस कारण सहायक निदेशक, ईख विकास, मोतिहारी द्वारा स्पष्टीकरण की भी मांग की गयी है। परंतु श्री प्रसाद द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया।

उपर्युक्त वर्णित स्थिति में बिना सूचना के कार्यालय में अपने कर्तव्य से अनुपस्थित रहने एवं विभागीय आदेश के पालन नहीं करने के कारण उनका संविदा नियोजन को समाप्त किया जाता है एवं उन्हें काली सूची में डाला जाता है, जिससे उन्हें दोबारा किसी सरकारी कार्यालय द्वारा संविदा पर पुनः नियोजित नहीं किया जाय।

प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

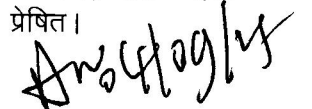


(अरुण कुमार)
अवर सचिव।

ज्ञापांक- 1408

पटना, दिनांक 04 सितम्बर, 2025

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/महालेखाकार, बिहार, पटना/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त/ सचिव, गन्ना उद्योग विभाग के प्रधान आप्त सचिव/ईखायुक्त, बिहार के निजी सहायक/सभी पदाधिकारी, गन्ना उद्योग विभाग/सभी सहायक निदेशक, ईख विकास/सभी ईख पदाधिकारी/सभी विशेष ईख पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

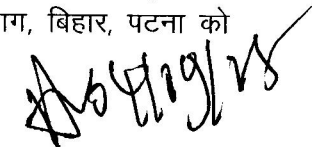


(अरुण कुमार)
अवर सचिव।

ज्ञापांक- 1408

पटना, दिनांक 04-सितम्बर, 2025

प्रतिलिपि :- श्रीमती शालीनता रानी, आई.टी. मैनेजर, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।



(अरुण कुमार)
अवर सचिव।